समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें, अन्य किसी अधिकारी के नाम से नही

पत्र संख्या :

दिनांक :

प्रेषक,

कुल सचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

1. संकायाध्यक्ष, कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि, योगा, एवं ललित कला संकाय ल0वि0वि0।
2. समस्त विभागाध्यक्ष उपरोक्त संकाय ल0वि0वि0।
3. समस्त निदेशक/समन्वयक इन्जीनियरिंग फार्मा एवं प्रबन्ध विज्ञान संस्थान ल0वि0वि0।
4. समस्त निदेशक/समन्यक समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम ल0वि0वि0।
5. परीक्षा नियन्त्रक ल0वि0वि0।

विषय :– वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2021–22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु निर्गत समय सारणी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 84/2021/1868/26–3–2021–4(358)/07 टी0सी0 दिनांक 12.07.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 19.07.2021 को आयोजित जिला समाज कल्याण की बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं का पालन कराये जाने हेतु समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि–

1. ऐसे छात्र जिन्होंने पिछली बार किन्हीं कारणों से छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया था उन्हें आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर नवीनीकरण न कराये जाने का कारण अंकित करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के समस्त परीक्षा परिणामों को समय से सम्बन्धित वेबसाइट पर परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय द्वारा अपलोड कराया जाना आवश्यक होगा।
3. दशमोत्तर छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार वही विद्यार्थी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत होगी जिसे सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से प्रमाणित किया जाएगा।
4. स्नातकीय पाठ्यक्रम के छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से प्रमाणित की जाएगी।
5. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से प्रमाणित की जाएगी।
6. डिप्लोमा स्तरीय अन्य पाठ्यक्रमों के छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से प्रमाणित की जाएगी।
7. किसी छात्र की उपस्थिति गलत प्रमाणित होने की दशा में सम्बन्धित प्रमाणन अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगे।
8. विभागाध्यक्ष द्वारा उपस्थिति प्रमाणित किये बिना कोई भी आवेदन पत्र छात्रवृत्ति काउन्टर/कार्यालय में किसी भी दशा में जमा नहीं की जाएगी।

कृपया शासन की मंशा के अनुरूप छात्रों को भविष्य की असुविधा से बचाने के लिए बैठक में दिए गये उक्त निर्देश का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

क्रमशः